प्रपत्र–ए– वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों के पूर्व अनुमोदन लेने हेतु

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="3">परियोजना विवरण</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण (अ) आवेदित वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना का पूर्ण विवरण दिया जावे। यथा सड़क, नहर एवं लाईनों के प्रकरण में कक्ष वार लम्बाई एवं चौड़ाई के आधार पर गणना की जावे। सिंचाई तालाब/ बांध, बेस्ट वियर, खदान, भवन, पहुंच मार्ग, डूब क्षेत्र, नहर इत्यादि के लिये कक्षवार आवश्यक वन भूमि का विवरण दिया जावे। साथ ही सिंचाई परियोजना के विवरण में कुल जलग्रहण क्षेत्र, कमाण्ड क्षेत्र, कुल जलाशय स्तर, उच्च बाढ स्तर, न्यूनतम जलाशय क्षेत्र, डूब क्षेत्र एवं जलग्रहण क्षेत्र में सम्मिलित वन, राजस्व एवं निजी भूमियों का विवरण तथा पूर्ण जलाशय स्तर, उस से 2 मीटर एवं 4 मीटर नीचे के स्तरों में डूब क्षेत्र में सम्मिलित वन भूमि का विवरण दिया जावे तथा कैचमेंट उपचार योजना संलग्न की जावे।</td><td>(i)</td><td>
जिला–शहडोल की तहसील–बुढार के अन्तर्गत तक उपरितल उत्खनन पद्धति से कोयला उत्खनन हेतु 66.177 हे. वनभूमि तथा 10.663 हे0 राजस्व वनभूमि कुल भूमि 76.840 हे0 की आवश्यकता है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

(अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में :–
<table>
<tr><th>जिले का नाम</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>परिक्षेत्र का नाम</th><th>आरक्षित/ संरक्षित वनखण्ड का नाम</th><th>कक्ष कमांक</th><th>आवेदित क्षेत्रफल (हे.में)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">शहडोल</td><td rowspan="2">दक्षिण शहडोल</td><td>केशवाही</td><td>रामपुर</td><td>1056</td><td>56.845</td></tr>
<tr><td>केशवाही</td><td>बेलिया</td><td>1056</td><td>9.332</td></tr>
<tr><td colspan="5">कुल</td><td>66.177</td></tr>
</table>
(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में :–
<table>
<tr><th>जिले का नाम</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>तहसील का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>खसरा कमांक</th><th>आवेदित क्षेत्रफल (हे.में)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">शहडोल</td><td rowspan="4">दक्षिण शहडोल</td><td rowspan="4">बुढार</td><td rowspan="4">रामपुर</td><td>2006</td><td>0.320</td></tr>
<tr><td>2040</td><td>0.028</td></tr>
<tr><td>1993</td><td>0.429</td></tr>
<tr><td>3198</td><td>1.635</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>3247</td><td>3.557</td></tr>
<tr><td>3298</td><td>4.694</td></tr>
<tr><td colspan="5">कुल</td><td>10.663</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			(स) अन्य भूमि में :– (i) शासकीय गैर वन भूमि – 146.502 हे0 (ii) निजी भूमि – 709.647 हे0 आवेदित वनभूमि 66.177 हे0 तथा राजस्व वनभूमि 10.663 हे0 के विरूद्ध जिला ---- X .... तहसील ---- X ----- के ग्राम ---X....के अन्तर्गत -----X----- हे0 समतुल्य गैर वन भूमि सर्वे कमांक/- खसरा कमांक ---- X -में उपलब्ध करायी जावेगी। इस हेतु जिलाध्यक्ष के आदेश कमांक ------X----- दिनांक ---X----- की प्रति मय मानचित्र में संलग्न है। आवेदक संस्थान वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बनायी गयी योजना में व्यय होने वाली राशि का भुगतान करने हेतु वचनबद्ध है। भारत सरकार/ राज्य सरकार/ नोडल अधिकारी द्वारा जो भी शर्ते एवं मुआवजा आदि निर्धारित की जावेगी, आवेदक संस्थान उसे मान्य करने हेतु वचनबद्ध है, वचन–पत्र संलग्न। आवेदित क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण/ निरीक्षण दिनांक 09/01/2015 को वन अधिकारियों के साथ किया गया था तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है ।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर आवेदित वन भूमि दर्शाने वाला वन मानचित्र। बडे प्रकरणों तथा एसे स्पदमंत प्रकरणो में जो एक से अधिक 1:50000 स्केल के मानचित्रों में आते हो, में 1:250000 स्केल का सर्वे आफ इण्डिया टोपोशीट भी संलग्न किा जावे। आवेदित वन क्षेत्र का 1:15000 स्केल पर संनिधि मानचिश्त्र (स्टाक मैप) एवं पीडीए अथवा मोबाइल मैपर से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (साफ्ट कापी) (5हे0 से कम क्षेत्र के प्रकरणों में क्षेत्र का 1:3960 स्केल मानचित्र 16 इंच=1 मील भी संलग्न किया जाये)	(ii)	1). संलग्न मानचित्र, 1:50,000 एवं 1:15,000

(iii)	परियोजना की लागत	(iii)	परियोजना पर 203.82 करोड़ रू0 की लागत आयेगी एवं इसकी स्वीकृति विभागाध्यक्ष के आदेश कमांक- SECL/ BSP/ BD-Secy/ 172/ BMEXT/ 08/ 241 Dtd. 16.09.2008 द्वारा प्राप्त हुई है। छायाप्रति संलग्न ।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य (वन क्षेत्र की आवश्यकता का औचित्य स्थापित किया जावे। परियोजना गैर वन क्षेत्र में अन्यत्र क्यों स्थापित नही की जा सकती ? परियोजना के स्थल विशिष्ट **Site specific** होने बावत तत्य दिये जावे। सिचांई परियोजनाओं के प्रकरण में सिंचाई क्षमता एवं उससे लाभान्वित परिवार/ग्राम का विवरण दिया जावे। उत्पादन मे वृद्वि का आंकलन दिया जावे)	(iv)	आवेदित वनभूमि के नीचे प्राकृतिक रूप से कोयला का भण्डार स्थित है, अन्य माध्यम से खनिज दोहन किया जाना संम्भव नहीं है। खुली खदान पद्धति से दोहन किया जाना है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (भारत सरकार के गाइड लाईन्स, 2004 के बिन्दु कं0 2.6 के अनुसार संलग्न किया जावे)	(v)	परियोजना में लगभग 203.82 करोड़ रूपये की लागत आयेगी तथा प्राप्त कोयले से 78.58 करोड़ प्रति वर्ष का लाभ होने का अनुमान है, लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। (किन ग्रामों में कितने व्यक्तियों को)	(vi)	प्रत्यक्ष रूप से 700 तथा अप्रत्यक्ष रूप से .....लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
2	कुल आपेक्षित भूमि का उद्‌देश्यवार विवरण। (ले–आउट प्लान संलग्न करें)	2	आवेदित क्षेत्र में खुली खदान खनन पद्धति से खनिज दोहन किया जायेगा, ले–आउट प्लान संलग्न है।
3	परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है।	3	
(i)	परिवारों की संख्या	(i)	निरंक
(ii)	अ.जा./अ.ज.ज.. परिवारों की संख्या	(ii)	निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किया जावे)	(iii)	लागू नहीं ।

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ?	4	पत्र क्र- SECL/ BSP/ Env./ Batura OC/ 2182 Dtd. 02.08.2010 के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षक लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्वता (वचनबद्वता संलग्न की जाए)	5	वन विभाग द्वारा बनायी गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में होने वाली व्यय राशि का भुगतान करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है, वचन पत्र संलग्न है।
6	संलग्न प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजो का ब्यौरा	6	संलग्न प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का विवरण निम्न प्रकार है:- 1. मानचित्र 1:50,000, 1:15,000 एवं सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (साफ्ट कापी) 2. परियोजना की स्वीकृति। 3. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण-पत्र। 4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत क्लीयरेन्स प्रमाण-पत्र। 5. लागत लाभ विशलेषण 6. अनुमोदित खनन योजना। 7. अतिरिक्त देय राशि का प्रमाण-पत्र। 8. एतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र 9. ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व कार्यवाही विवरण। 10. नेट प्रेजेन्ट वैल्यू भुगतान हेतु वचन-पत्र। 11. प्रतिपूरक वनीकरण राशि भुगतान करने का वचन-पत्र। 12. व्यपवर्तित भूमि का अन्य कार्य में उपयोग नहीं लेने का वचन-पत्र। 13. व्यपवर्तित भूमि में अधिरोपित शर्तों का पालन बावत् वचन-पत्र।

तिथि :

स्थान :

महाप्रबंधक
एसईसीएल, सोहागपुर क्षेत्र
पोस्ट-धनपुरी, जिला-शहडोल, म0प्र0

महाप्रबंधक
एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 739 / 2015 / 10–11 / 1644 भोपाल, दिनांक 20-7-15

प्रेषक :–

सी.पी.राय, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम,1980
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.)
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– **शहडोल वृत्त के वन मंडल (सा.) दक्षिण शहडोल के अंतर्गत परिक्षेत्र केशवाही वन खंड रामपुर पार्ट कक्ष क्रमांक पी–1056 रकबा 66.177 हेक्टेयर वन भूमि एवं परिक्षेत्र केशाही तहसील सोहागपुर, ग्राम रामपुर खसरा क्रमांक 2006, 2040, 1993, 3198, 3247, 3298 रकबा 10.663 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल रकबा 76.840 हेक्टेयर वन भूमि / राजस्व वन भूमि में कोयला खनिज उपरितल पद्धति से खुली खदान उत्खनन कार्य की अनुमति हेतु महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट धनपुरी जिला शहडोल का प्रस्ताव।**

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत मुख्य वन संरक्षक, शहडोल के पत्र दिनांक 27.01.2015 के माध्यम से प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार हैः–

1. वन मंडल (सा.) दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र केशवाही वन खंड रामपुर पार्ट में एवं परिक्षेत्र केशवाही तहसील सोहागपुर ग्राम रामपुर की वन भूमि / राजस्व वन भूमि आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैः–

1. वन भूमि–

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वन खंड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित वन भूमि हेक्टेयर में
1	केशवाही	रामपुर पार्ट	पी–1056	66.177
			कुल रकबा	**66.177 हेक्टे. वन भूमि**

2. राजस्व वन भूमि–

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित वन भूमि हेक्टेयर में
1	केशवाही	सोहागपुर	रामपुर	2006 2040 1993 3198 3247 3298	0.320 0.028 0.429 1.635 3.557 4.697
				कुल रकबा	**10.663 हेक्टे. राजस्व वन भूमि**

–2–

D:\Section F-1.docx

इस प्रकार कुल रकबा 76.840 हेक्टेयर वन भूमि/राजस्व वन भूमि (बटुरा खुली खदान) कोयला खनिज उत्खनन की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कार्य की अनुमति महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र पोस्ट धनपुरी जिला शहडोल मध्यप्रदेश द्वारा चाही गई है।

2. भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार आवेदक से प्रोसेसिंग एवं पंजीयन शुल्क जमा कराया गया है तथा वेबसाईट के माध्यम से Proposal No. FP/MP/MIN/9518/2010 से प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्ताव दिनांक 16.07.2015 को वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

3. प्रस्ताव में भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 22.01.2011 में रामपुर भटुरा खुलीखदान परियोजना में शामिल खसरा नम्बर का उल्लेख करते हुए समस्त खसरों का एकजाई रकबा दर्शाया गया है, जिसकी प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

4. प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र का घनत्व 0.00 से 0.4 तक है। मिश्रित प्रजाति का अण्डर स्टाक क्षेत्र है।

5. प्रस्ताव में संबंधित ग्राम सरपंच/ग्राम सभा बैठक का कार्यवाही विवरण के साथ आवेदक संस्थान के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

6. प्रस्ताव मे कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र. के पत्र क्रं./R.Coll./FRA/2015/1877 दिनांक 29.04.2015 द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम–2006 के अंतर्गत आवेदक संस्थान के पक्ष में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

7. प्रस्ताव मे आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि पर प्रस्तावित कोयला खनन कार्य किये जाने हेतु सी.एम.पी.डी.आई.एल. के द्वारा खनन योजना तैयार की गई है। खनन योजना अनुसार खनन कार्य किया जावेगा, प्रस्ताव मे खनन योजना संलग्न है।

8. प्रस्ताव मे आवेदक संस्थान द्वारा खनन कार्य के उपरांत वन भूमि राजस्व वन भूमि का रिक्लेमेशन कार्य किया जावेगा। रिक्लेमेशन योजना कार्य मे होने वाली अतिरिक्त व्यय राशि का भुगतान करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है प्रस्ताव में रिक्लेमेशन योजना ओर वचन पत्र संलग्न किये गये हैं।

9. प्रस्तव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि के स्थल से बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की दूरी को 125 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, इस आशय का वन मंडल अधिकारी (सा.) दक्षिण शहडोल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है।

10. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि की 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/जैव मंडल रिजर्व/बाघ रिजर्व/हाथी कॉरीडोर आदि का भाग नहीं है, इस आशय का वन मंडल अधिकारी (सा.) दक्षिण शहडोल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

11. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि के आस–पास पुरातात्वीक/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है।

12. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि में वनस्पति और प्राणी जाति की कोई दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।

–3–

13. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि के नीचे कोयला भण्डार उपलब्ध है, जिसे उत्खनन कार्य खुली खदान के द्वारा दोहन करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि/राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम की गई है, इस आशय का वन मंडल अधिकारी (सा.) दक्षिण शहडोल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

14. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि के रकबा 76.177 हेक्टेयर भूमि के विरूद्ध में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु दुगने बिगड़े वन क्षेत्र का चयन परिक्षेत्र जैतपुर के अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी–880 रकबा 53.76 हेक्टेयर परिक्षेत्र केशवाही कक्ष क्रमांक आर. 976 रकबा 50.00 हेक्टेयर एवं कक्ष क्रमांक पी 1055 रकबा 50.00 हेक्टेयर कुल रकबा 153.76 हेक्टेयर दुगने बिगड़े वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की 10 वर्षीय योजना बनाई गई है। इस कार्य पर योजना अनुसार व्यय राशि क्रमशः रू.3,11,64,913/–, रू.1,74,04,610/– एवं रू. 1,74,04,610/– कुल रू.6,59,75,133/– व्यय होने का अनुमान है। साथ ही योजना अनुसार दिनांक 05.12.2014 से मुख्य वन संरक्षक शहडोल द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है।

15. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि के विरूद्ध प्रस्तावित की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु चयन की गई भूमि का वन मंडल अधिकारी (सा.) दक्षिण शहडोल द्वारा दिनांक 20.10.2014 को स्थल निरीक्षण किया गया। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण के योग्य है तथा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त है।

16. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि के विरूद्ध प्रस्तावित की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयन की गई बिगड़े वन की भूमि वन सीमा से शून्य कि.मी. की दूरी पर है, इस आशय का वन मंडल अधिकारी (सा.) दक्षिण शहडोल द्वारा प्रमाण पत्र दिया है।

17. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि महुआ, आम, तेन्दु , पलास, धोबिन, सेधा, बबूल, साजा, नीम, खम्हार, बीजा, हल्दू प्रजाति की वनोपज उपलब्ध है। उपलब्ध वनोपज/वृक्षों की प्रजाति व गोलाईवार संख्या निम्न अनुसार हैः–

वन भूमि में उपलब्ध वृक्षों की प्रजाति

क्रं.	प्रजाति का नाम	20 से.मी.	21 से 60 से.मी.	61 से 120 से.मी.	121 से अधिक से.मी.	कुल
1	साल	00	14	00	00	**14**
2	साजा, हल्दू, बीजा	00	29	00	01	**30**
3	अन्य	00	2125	261	78	**2464**
					योग–	**2508**

राजस्व वन भूमि में उपलब्ध वृक्षों की प्रजाति

क्रं.	प्रजाति का नाम	20 से.मी.	21 से 60 से.मी.	61 से 120 से.मी.	121 से अधिक से.मी.	कुल
1	साल	00	01	00	00	01
2	अन्य	00	131	102	38	271
	योग	00	132	102	38	272

इस प्रकार आवेदित वन भूमि मे उपलब्ध वनोपज 2508 एवं राजस्व वन भूमि मे उपलब्ध वनोपज 271 कुल 2780 उपलब्ध वनोपज का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है। उपलब्ध वनोपज का विदोहन किये जाने पर 77.027 घनमीटर इमारती व लगभग 210.322 घनमीटर (69) पट्टा) जलाऊ वनोपज प्राप्त होने का अनुमान है। प्रस्ताव में विस्तृत गणना पत्रक संलग्न किया गया है।

–4–

18. प्रस्ताव में वन मंडल अधिकारी (सा.) दक्षिण शहडोल द्वारा कास्ट बेनीफिट एनालिसिस लागत लाभ विश्लेषण का आंकलन किया गया है। आंकलन अनुसार परियोजना से लाभ होगा।

19. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन संबंधी कार्य प्रतिवेदित नहीं है।

20. प्रस्ताव मे आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि के संबंधों में कोई भी न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

21. प्रस्ताव मे आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि में कोई व्यवस्थापनन नहीं होगा।

22 प्रस्ताव मे आवेदित वन भूमि/राजस्व वन भूमि के आवेदित स्थल का जी.पी.एस. मेप 1:15:000 स्केल मानचित्र पर दर्शाया जाकर इण्डेक्स में भी जी.पी.एस0 पाईंट दार्शाये गये हैं, मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

23. प्रस्ताव मे आवेदित स्थल की अक्षांश/देशान्तर की रीडिंग तैयार की जाकर रीडिंग का पत्रक प्रस्ताव मे संलग्न किया गया है।

24. प्रस्ताव में आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 10.663 हे0 भूमि को 1:4000 स्केल के मानचित्र पर दर्शाया जाकर इण्डेक्स में आवेदित भूमि/खसरा क्रमांक/भी लेख किया जाकर प्रस्ताव मे संलग्न किया गया है।

25. प्रस्ताव मे आवेदित वन भूमि/राजस्व भूमि को सर्व ऑफ इंडिया की टोपोशीट 1:25000 स्केल के मानचित्र आवेदित स्थल को 10 कि.मी. परिधि के अंदर दर्शाया जाकर इंडेक्स में अंकित किया जाकर व.म.अ. (सा0) दक्षिण शहडोल द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, प्रस्ताव में संलग्न है।

26. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि/राजस्व भूमि को 1:50:000, 1:15000 स्केल मानचित्र पर आवेदित स्थल दर्शाया जाकर इण्डेक्स में अंकित किया जाकर वन मंडल अधिकारी (सा.) दक्षिण शहडोल द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, प्रस्ताव में संलग्न है।

27. प्रस्ताव मे आवेदित स्थल का वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल दक्षिण शहडोल द्वारा दिनांक 08.01.2015 को संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। प्रस्ताव मे स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

28. प्रस्ताव में आवेदित भूमि के स्थल का मुख्य वन संरक्षक शहडोल मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 24.01.2015 को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया है। प्रस्ताव में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

29. प्रस्तावित प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र भाग–2 पर वन मंडल अध्किारी (सा.) दक्षिण शहडोल एवं निर्धारित प्रपत्र भाग–3 पर मुख्य वन संरक्षक शहडोल द्वारा प्रस्तावित कार्य करने की अनुमति देने की अनुशंसा की गई है।

30. प्रस्ताव मे निर्धारित प्रपत्र भाग–1 से 5 में प्रस्ताव प्रस्तावित वन भूमि के मानचित्र जी.पी.एस. मेप/रीडिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट माईनिंग प्लान रिक्लेमेशन योजना प्रमाण–पत्र ग्राम सरपंच/ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण, कलेक्टर का प्रमाण पत्र, वृक्षों का गणना पत्रक प्रस्तावित दुगने बिगड़े वन भूमि की वृक्षारोपण योजना/वन मंडल अधिकारी (सा.) दक्षिण शहडोल/मुख्य वन संरक्षक शहडोल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एन.पी.व्ही. का भुगतान करने का वचन–पत्र एवं आवश्यक सभी वचनपत्र/प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव से संबंधित अन्य अभिलेख प्रस्ताव मे संलग्न किये गये हैं।

—5—

मुख्य वन संरक्षक, शहडोल/वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल दक्षिण शहडोल की अनुशंसा से राज्य शासन, वन विभाग सहमत है। प्राप्त प्रस्ताव राज्य शासन की अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की प्रथम चरण (सैद्धान्तिक) अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।
(प्रस्ताव की एक प्रति)

भवदीय

17/7

(सी.पी.राय)

पृ0 क्रमांक/एफ—1/739/2015/10—11/1645 भोपाल, दिनांक 20-7-15

प्रतिलिपि—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई—5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त शहडोल, मध्यप्रदेश।
3. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल दक्षिण शहडोल, मध्यप्रदेश।
4. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला शहडोल, मध्यप्रदेश।
5. मेसर्स महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट धनपुरी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश।
6. श्री मनोज मिश्रा, अधिवासी कार्यपालक, एस.ई.सी.एल., कोल परिसर, रायसेन रोड़, पिपलानी भोपाल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्नः—(अनु क्र. 1 के लिए)

17/7

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C

17/7/15

D:\Section F-1.docx